

न्यायालय - समाप्तार्थ, पूर्णियाँ ।

रेजिस्ट्रार, भारतीय न्याय व्यवस्था संख्या 185/2011

मनोज कुमार अग्रवाल विरुद्ध स्वर्ण कुमार शर्मा

व्यक्ति-व्यक्तिवाद, धारा-केस, विद्या-पूर्णियाँ —आदेश

मनाया

सुनौतीया देवी एवं अन्य, भारत आयोग परामर्श


आर आरओका ग्राम पंचायत, धारा-सुनौती, पूर्णियाँ-बंगाली


आदेश

यह आदेश भारतीय उच्च न्यायालय के आदेश संख्या 2011 के अंतर्गत में जारी किया गया है जिसमें आदेश के अतिरिक्त के विचारण कार्यवाही करी तथा मकरिया भौतिका के तहत एक निर्णय को लेने के लिए मनाया की है ।

विदित की कि भारतीय उच्च न्यायालय का आदेश संख्या 2011 को जारी किया गया है किन्तु आदेश से 12.12.11 को यह आदेश प्राप्त इस प्रकार है किसे स्पष्ट होता है कि आदेश को प्रारंभिक सुनौतीया के लिए मनाया नहीं है तथा आदेश के अन्तर्गत में सुनौतीया नहीं किया है कि यह न्यायालय को किने निर्णय के तहत आदेश को प्रारंभिक सुनौतीया का केसांयकार है ।

न्यायालय एवं न्याय विभाग ।

  
समाप्तार्थ,  
पूर्णियाँ ।

  
व्यक्ति,  
पूर्णियाँ ।